न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1 बुधराम पुत्र चिम्मन
2 रामरूप
3 भाईराम } पि. कुम्हेर } जाति मीना निवासी बड़ापुरा, तहसील मासलपुर जिला करौली
4 गोरधन

5 शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा करौली – अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–13.01.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 849/2 रकबा 1–19 बीघा ग्राम भावली तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 849 रकबा 8/14 बीघा ग्राम भावली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2030–33 तक के खाता संख्या 641, नामांतरकरण संख्या 319 से किस्म तालाबी–2 से श्री बुधराम पुत्र श्री चिम्मन निवासी भावली के नाम जरिये आवंटन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में रामरूप, भाईराम, गोरधन पि. कुम्हेर जाति मीना निवासी बड़ापुरा राहिन पी.एन.बी. शाखा करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 849/2 रकबा 1–19 बीघा बाके ग्राम भावली को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2059.62, 2067–70, 2071–74 नामांतरकरण संख्या 319 दिनांक 21.09.1971, 631/07.10.77, 1352 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

अप्रार्थीगण को कार्यालय द्वारा जारी नोटिस की सम्यक् तामील होने के उपरांत भी अप्रार्थी सं.1 ना तो उपस्थित हुआ और ना ही कोई जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 5 के एडवोकेट द्वारा एपीयरेन्स मीमो पेश किया परंतु बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 व 5 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उक्त नोटिस विधि सम्मत नहीं है और कपोल कल्पित नोटिस तहसीलदार साहब मासलपुर द्वारा गलत दिया गया है। आराजी खं0 नं0 849/2 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा नाला नहीं है बल्कि तालाबी जमीन है जो कि वाके ग्राम भावली में स्थित है श्रीमान् सव तहसीलदार मासलपुर द्वारा गलत नोटिस बिना राजस्व रिकॉर्ड की जांच किये दिया गया है जो पूर्णतः गलत है वास्तविकता यह है कि आराजी खं0 नं0 849/2 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा तालाबी का वयनामा वैधानिक तरीके से उक्त आराजी को क्रय कर हमारे हक में वुधा पुत्र चिम्मन जाति मीना ने दिनांक 29.09.1993 को मुवल्लिग 95,000 रूपयें में लेकर उक्त आराजी का वयनामा सब रजिस्ट्रार मासलपुर के यहां तस्दीक कराया गया है तथा कब्जा रामरूप पुत्र कुम्हेर का करा दिया तभी से सन् 1993 से प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज है हर साल फसल बोता है उक्त वयनामा के आधार पर ही उक्त आराजी का पटवार रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ है वयनामा एवं नामांतरकरण पब्लिक डेक्यूमेंट है इन पर कोई अविश्वास नहीं किया जा सकता। श्रीमान् तहसीलदार साहब ने यह रिपोर्ट गलत की है कि आराजी खं0 नं0 849/2 नाला है तहसीलदार मासलपुर का यह कृत्य सरासर गलत है बिना किसी संवैधानिक अधिकार के इस प्रकार की कार्यवाही एवं नोटिस देने का हक तहसीलदार मासलपुर को नहीं है तथा उनका यह कृत्य अवैधानिक है तहसीलदार मासलपुर ने कपोल कल्पित नोटिस दिया है तथा उनका यह कृत्य आरवीट्रेरी है। प्रार्थी गरीब आदमी है बडी मुश्किल से लाखों रूपये खर्च करके एवं जिस्मानी मेहनत करके उक्त आराजी को सरसर्वज बनाया है अन्य किसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब तहसीलदार मासलपुर उक्त आराजी को अपने नोटिस में गैरमुमकिन नाला बताते हैं जबकि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी तालाबी आराजी है तथा हस्व कायदा उक्त खसरा नं0 849/2 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा का वयनामा हुआ हैं तथा वयनामा के आधार पर नामांतरकरण खोला गया है तथा पटवार रिकॉर्ड में अमल दरामद है इस विषय में हस्तक्षेप करने की कोई गुजाइंश ही नहीं है रेफरेंस का कोई औचित्य नहीं बनता है सारी कार्यवाही गलत है वयनामा की छायाप्रति जबाव के साथ प्रस्तुत की जा रही है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है तथा कब्जा है पुराने कब्जे को वैधानिक तरीके से भी नहीं हटाया जा सकता उक्त रेफरेंस में कोई चल नहीं पाया जाता है तथा हर हाल में खारिज होने योग्य है। अंत में रेफरेंस खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 849/2 रकबा 1–19 बीघा गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु नामांतरकरण सख्या 319 से किस्म तालाबी–2 से श्री बुधराम पुत्र श्री चिम्मन निवासी भावली के नाम जरिये आवंटन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में रामरूप, भाईराम, गोरधन पि. कुम्हेर जाति मीना निवासी बड़ापुरा राहिन पी.एन.बी. शाखा करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नाला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal.

The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम भावली की आराजी खसरा नंबर 849 / 2 रकबा 1–19 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:18:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: